महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.07(112)मगंसिंविबी / विद्या परिषद–24 / 2025 / 7757 दिनांक : 18/8/25

समस्त माननीय सदस्य
विद्या परिषद,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय :– विद्या परिषद की 24 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 26.07.2025 को आयोजित हुई विद्या परिषद की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 6669 दिनांक 01.08.2025 के साथ प्रेषित कर सात दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण पर निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त विद्या परिषद की 24 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव 18/8/25

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 .2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

7757 18/08/2025

विद्या परिषद् 24 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 24 वीं बैठक दिनांक 26–07–2025 को प्रातः 11:00 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलगुरु सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1	**आचार्य मनोज दीक्षित, माननीय कुलगुरु**	अध्यक्ष
2	आचार्य अनिल कुमार छंगाणी, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
3	आचार्य अन्नाराम शर्मा, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
4	आचार्य चन्द्रशेखर कच्छावा, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य (ऑनलाइन)
5	आचार्य कुमुद जैन, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
6	प्रो. सतपाल, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
6	डॉ. पंकज जैन, संकायाध्यक्ष प्रबन्धन एवं अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य	सदस्य
7	प्रो. बलवंत सिंह चौहान, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
8	प्रो. अभिलाषा आल्हा, राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्	सदस्य
9	प्रो. श्याम लाल, राज्य सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद्	सदस्य
10	डॉ. सुरेश कुमार पुरोहित, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य निजी महाविद्यालय	
11	आचार्य, स्मिता जैन, संयोजक–वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
12	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक–कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
13	आचार्य राजाराम चोयल, संयोजक–पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
14	आचार्य देवेश खण्डेलवाल, संयोजक–भूगर्भ विज्ञान	सदस्य (ऑनलाइन)
15	आचार्य संजय ईशर, संयोजक–गणित	सदस्य
16	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी, संयोजक–सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
17	आचार्य एम.डी. शर्मा, संयोजक–भौतिक विज्ञान	सदस्य

18	आचार्य राजेन्द्र पुरोहित, संयोजक–प्राणीशास्त्र	सदस्य
19	आचार्य दिव्या जोशी, संयोजक–अंग्रेजी	सदस्य
20	आचार्य मंजू शर्मा, संयोजक–हिन्दी	सदस्य (ऑनलाइन)
21	आचार्य विक्रमजीत, संयोजक–संस्कृत	सदस्य
22	आचार्य सुमित्रा चारण, संयोजक–दर्शनशास्त्र	सदस्य
23	आचार्य नरेन्द्र नाथ, संयोजक–राजनीति विज्ञान	सदस्य
24	आचार्य राजेश भाकर, संयोजक–भूगोल	सदस्य
25	आचार्य विश्वप्रभा गुप्ता, संयोजक–अर्थशास्त्र	सदस्य
26	आचार्य अभिलाषा आल्हा, संयोजक–गृह विज्ञान	सदस्य
27	आचार्य नरेन्द्र कुमार कुमावत, संयोजक चित्रकला	सदस्य
28	आचार्य मीनू तंवर, संयोजक–समाजशास्त्र	सदस्य
29	आचार्य साधना भण्डारी, संयोजक–लोक प्रशासन	सदस्य
30	डॉ. चन्द्रशेखर रंगा, संयोजक–ए.बी.एस.टी.	सदस्य
31	डॉ. राधा सोलंकी, संयोजक–व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
32	डॉ. कविता चौधरी, संयोजक–शिक्षा	सदस्य
33	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक–शारीरिक शिक्षा	सदस्य
34	आचार्य आस्मा मसूद, संयोजक–उर्दू	सदस्य
35	डॉ. धर्मेश हरवानी, संयोजक–जैव तकनीकी	सदस्य
36	आचार्य अमर सिंह, संयोजक–सैन्य विज्ञान	सदस्य
37	आचार्य धनवन्ती बिश्नोई, संयोजक–जी.पी.ई.एम.	सदस्य
38	डॉ. संदीप सिंह, संयोजक–पंजाबी	सदस्य
39	डॉ. देवीशंकर शर्मा, संयोजक–जे.वी.जे.वी.	सदस्य
40	श्री जैलेन्द्र सिंह, संयोजक–मनोविज्ञान	सदस्य
41	श्री उमेश शर्मा, संयोजक–पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	सदस्य
42	डॉ. मनीष तंवर, संयोजक–एम.बी.ए.	सदस्य
43	डॉ. मेघना शर्मा, कुलगुरु महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
44	श्री अरविन्द बिश्नोई, कुलसचिव	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव श्री अरविन्द बिश्नोई द्वारा विद्या परिषद् की विशेष बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विद्या परिषद् की ओर से विद्या परिषद् में नव–मनोनीत सदस्य संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान प्रो. चन्द्रशेखर कच्छावा, विधि प्रो. कुमुद जैन, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य प्रो. बलवंत सिंह चौहान, प्रो. अभिलाषा आल्हा, प्रो. श्याम लाल एवं डॉ. सुरेश कुमार पुरोहित का स्वागत किया गया। साथ ही विद्या परिषद् के निवर्तमान माननीय सदस्य प्रो. अरविन्द वाजपेयी, प्रो. भगवानाराम

बिश्नोई, प्रो. पुष्पेन्द्र सिंह, प्रो. इन्द्रा गोस्वामी, डॉ. सुधीर रूपाणी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके द्वारा विश्वविद्यालय कार्यों एवं विद्या परिषद् की बैठकों में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विद्या परिषद् बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार बिन्दुवार प्रारम्भ की गई :—

मद संख्या	मद	संबंधित विभाग
1	दिनांक 26.06.2024 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 23 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट–1 (पृष्ठ संख्याः 01–47)	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। पालना रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 05 में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के बिन्दु संख्या 02 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में सत्र 2025–26 से लागू करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त कार्यवाही करने, बिन्दु संख्या 14 पर माननीय सदस्य द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित से जानकारी प्राप्त करने हेतु सुझाव दिया गया। साथ ही माननीय सदस्य प्रो. देवेश खण्डेलवाल द्वारा पूर्व में परीक्षा संबंधित निर्देशों के संबंध में उठाये गए बिन्दुओं पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा परीक्षा दिशा–निर्देशों में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
2	दिनांक 19.12.2024 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट–2 (पृष्ठ संख्याः 48–52)	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
3	दिनांक 09.04.2025 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट–3 (पृष्ठ संख्याः 53)	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय

<table>
<tr><td>4</td><td>प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानानुसार माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष कला, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति की गई।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रो. अभिलाषा आल्हा, आचार्य, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रतिवेदन (संलग्न–57–65) प्रस्तुत कर ''वरिष्ठता की अवहेलना कर कनिष्ठ आचार्य को संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति किये जाने की शिकायत की है जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
साथ ही वाणिज्य संकायाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रबन्धन संकायाध्यक्ष को आगामी आदेश तक दिया गया है जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
परिशिष्ट–4 (पृष्ठ संख्या :54–66)</td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>विद्या परिषद् द्वारा आदेशों की पुष्टि करते हुए संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रो. अभिलाषा आल्हा द्वारा दिये गए प्रतिवेदन पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन प्रदान किया।</td><td>शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय</td></tr>
<tr><td>5</td><td>विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव :–
परिशिष्ट–5 (पृष्ठ संख्या: 67–114)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संकाय</th><th>विषय</th><th>कार्यवाही विवरण की पृष्ठ संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कला</td><td>हिन्दी (13.06.2025)</td><td>67–68</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>अंग्रेजी (13.06.2025)</td><td>69</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>संस्कृत (03.06.2025)</td><td>70</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>उर्दू (03.06.2025)</td><td>71</td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td>पंजाबी (03.06.2025)</td><td>72</td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td>राजस्थानी (10.06.2025)</td><td>73</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>चित्रकला (18.06.2025)</td><td>74</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>संगीत (02.06.2025)</td><td>75</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>दर्शनशास्त्र (03.06.2025)</td><td>76</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>मनोविज्ञान (10.06.2025)</td><td>77</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

11	वाणिज्य	ए.बी.एस.टी. (04.06.2025)	78
12		व्यवसायिक प्रशासन (04.06.2025)	79
13		ई.ए.एफ.एम. (04.06.2025)	80
14	विज्ञान	भौतिक विज्ञान (05.06.2025)	81
15		रसायनशास्त्र (18.06.2025)	82
16		वनस्पतिशास्त्र (03.06.2025)	83
17		प्राणी विज्ञान (06.06.2025)	84
18		गणित (10.06.2025)	85
19		भू–गर्भ विज्ञान (10.06.2025)	86
20		जैव तकनीकी (02.06.2025)	87
21		सूक्ष्मजीव विज्ञान (23.06.2025)	88
22		कम्प्यूटर विज्ञान (02.06.2025)	89–90
23		पर्यावरण विज्ञान (13.06.2025)	91
24		सैन्य विज्ञान (05.06.2025)	92
25		खाद्य और पोषण (05.06.2025)	93
26	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र (23.06.2025)	94
27		राजनीति विज्ञान (10.07.2025 व 13.06.2025)	95–96
28		समाजशास्त्र (04.06.2025)	97
29		इतिहास (04.07.2025 व 18.06.2025)	98–99
30		भूगोल (10.06.2025)	100
31		लोक प्रशासन (03.06.2025)	101
32		गृह विज्ञान (05.06.2025)	93
33		जी.पी.ई.एम. (05.06.2025)	102
34		जे.वी.जे.वी. (06.06.2025)	103
35	शिक्षा	शिक्षा (03.06.2025)	104–105
36		शारीरिक शिक्षा (04.06.2025)	106–107
37		योगा (04.06.2025)	108–109
38		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (04.06.2025)	110
39	प्रबंधन	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (04.06.2025)	111
40	विधि	विधि (04.06.2025)	112–114

निर्णय	**अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम 2025–26 का विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने समस्त संयोजकों को दिनांक 31.07.2025 तक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। संयोजक वनस्पतिशास्त्र की आपत्ति पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करने से पूर्व शैक्षणिक अनुभाग समन्वयक से पाठ्यक्रम का सत्यापन आवश्यक रूप से करावें। विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार से पाठ्यक्रम एवं परीक्षा स्कीम से संबंधित समय–समय पर प्राप्त होने वाले निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु माननीय कुलगुरु को अधिकृत किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
6	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रवेश–नीति 2025–26 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–6 (पृष्ठ संख्याः 115)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश नीति 2025–26 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रवेश नीति में सेमेस्टर प्रणाली अनुसार प्रवेश में आने वाली परेशानी एवं विद्यार्थी की श्रेणी/कैटेगरी की मान्यता के संबंध में समिति के माध्यम से परीक्षण करवाकर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरु को अधिकृत किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
7	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024–25 में 02 नवीन महाविद्यालयों (सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता 'प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–7 (पृष्ठ संख्याः 116)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग प्रथम
8	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 29.01.2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट–8 (पृष्ठ संख्याः 117–119)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
9	प्रतिवेदित है कि अधिष्ठाता कला संकाय एवं संयोजक–अध्ययन मण्डल ड्राईग एण्ड पेन्टिग (फाईन आर्ट्स) से प्राप्त अनुशंसा	

	के आधार पर एम.ए. ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग को एम. ए. फाइन आर्ट्स के समकक्ष माना गया है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–9 (पृष्ठ संख्या: 120–121)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
10	प्रतिवेदित है कि स्नातकोत्तर जैव प्रौद्योगिकी विषय में उत्तीर्ण छात्रों को सूक्ष्मजीव विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे संबद्ध विषयों में शोध कार्य करने की अनुमति विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्रमांक 4649 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा प्रदान की गई। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–10 (पृष्ठ संख्या: 122–123)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा रसायन विज्ञान विषय को विलोपित करते हुए आदेश की पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
11	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8378, 8385, 8392, 8399 एवं 8406 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा क्रमशः कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय एवं वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के सत्र 2024–25 हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा योजना, दिशा–निर्देश व पाठ्यक्रमों को इकजाई करने हेतु संकायवार गठित समितियों की दिनांक 01.10.2024 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत/अनुशंसा को विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–11 (पृष्ठ संख्या: 124–128)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
12	विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 4154–59 दिनांक 23.06.2025 की पालना में विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली में क्रेडिट सिस्टम के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार करने की स्कीम/नियमावली तैयार करने हेतु गठित संकायाध्यक्ष समिति की बैठक दिनांक 25.06.2025 में प्रस्तुत अनुशंसा का माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07	

	(126)मगंसिंविबी / शैक्षणिक / 2025 / 4992 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा विद्या परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिशा–निर्देश जारी किए गए। उक्त संबंध में संदर्भित आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–12 (पृष्ठ संख्या: 129–138)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई। साथ ही विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा स्कीम की नियमावली का व्यापक प्रचार–प्रसार कर विद्यार्थियों को इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
13	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07( ) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2024 / 5974-A दिनांक 31.07.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों में पूर्व में निर्धारित 20 सीटों के स्थान पर 10 सीटों की अभिवृद्धि कर सत्र 2024–25 के लिए कुल 30 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07( ) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2024 / 6333 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजना अन्तर्गत संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLISc) पाठ्यक्रम में निर्धारित 20 सीटों में 10 सीटों की अभिवृद्धि कर सत्र 2024–25 के लिए कुल 30 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07( ) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2024 / 6975 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजना अन्तर्गत योग विभाग में संचालित पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी (PGDYN) पाठ्यक्रम में निर्धारित 40 सीटों में 40 सीटों की अभिवृद्धि कर सत्र 2024–25 के लिए कुल 80 (40+40) सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07( ) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2024 / 8417 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजना अन्तर्गत संचालित एलएल.एम. सेमेस्टर प्रथम में निर्धारित 60 सीटों के अतिरिक्त 60 सीटों की अभिवृद्धि कर सत्र 2024–25 के लिए कुल 120 (60+60) सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07( ) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2024 / 9806 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में	

	स्ववित्तपोषी योजना अन्तर्गत संचालित एमएससी योगा सेमेस्टर प्रथम में निर्धारित 20 सीटों के अतिरिक्त 20 सीटों की अभिवृद्धि कर सत्र 2024–25 के लिए कुल 40 (20+20) सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त आदेश विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–13 (पृष्ठ संख्याः 139–143)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
14	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07(112)/मगंसिंविबी/शैक्ष./2024/6228 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प. 18(10) शिक्षा–4/2020 पार्ट–00485 दिनांक 08.07.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में गैप के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किए जाने के प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2024–25 से हटाया गया। उक्त आदेश विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–14 (पृष्ठ संख्याः 144–146)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
15	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.07(126)/मगंसिंविबी/शैक्ष./2024/9787 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डल विधि द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा अनुसार विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय में संचालित एलएल.बी. पाठ्यक्रम में सीबीसीएस आधारित सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई। उक्त आदेश विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–15 (पृष्ठ संख्याः 147)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
16	प्रतिवेदित है कि शोधार्थी सरिता (विषय हिन्दी) के द्वारा शोध पर्यवेक्षक डॉ. अन्नाराम शर्मा के निर्देशन में दिनांक 25.09.2007 से शोध कार्य प्रारम्भ किया गया था। शोधार्थी की शोध कार्य	

	हेतु अधिकतम अवधि 6 वर्ष दिनांक 24.09.2013 को पूर्ण होने के कारण शोधार्थी का शोध पंजीयन विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 676–77 दिनांक 25.02.2016 के द्वारा निरस्त किया गया। तत्पश्चात् शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2024 में पीएच.डी. पंजीयन की तिथि बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त पत्र में 2010 व 2013 में पुत्रियों का जन्म होने एवं उनकी देखभाल करने के कारण पीएच.डी. शोध कार्य पूर्ण नहीं करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश में उक्त के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा दिनांक 29.08.2024 की अनुपालना में प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–16 (पृष्ठ संख्या: 148–149)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	शोध
17	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 101 के बिन्दु संख्या 16 (i) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 153 दिनांक 01.02.2025 द्वारा गठित संकायाध्यक्षों की समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 12 (6) के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी पब्लिक नोटिस क्रमांक 140648 दिनांक 28.03.2024 के क्रम में समिति द्वारा अनुशंसित दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी "मानक संचालन प्रक्रियाएँ एवं प्रावधान" (SOPP) में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 477–84 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा अधिसूचित किए गए। उक्त अधिसूचना विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–17 (पृष्ठ संख्या: 150–152)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई। साथ ही "मानक संचालन प्रक्रियाएँ एवं प्रावधान"(SOPP) के बिन्दु संख्या 2(a)(i) में साक्षात्कार शब्द के स्थान पर आवेदन की अंतिम तिथि को पदस्थापित किये जाने का निर्णय लिया।**	शोध
18	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 101 के बिन्दु संख्या 16 (i) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 153 दिनांक 01.02.2025 द्वारा गठित संकायाध्यक्षों की समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 12 (6) के अनुसरण	

	में समिति द्वारा शोध कार्यों हेतु अनुशंसित "सह–पर्यवेक्षक नियुक्त करने हेतु दिशा–निर्देश" विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी "मानक संचालन प्रक्रियाएँ एवं प्रावधान" (SOPP) में सम्मिलित किये जाने हेतु विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 485–92 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा अधिसूचित किए गए। उक्त अधिसूचना विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–18 (पृष्ठ संख्या: 153–164)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शोध
19	प्रतिवेदित है कि कार्यालय आदेश क्रमांक 13654/06.07.2020 के द्वारा सत्र 2021–22 से प्रति वर्ष 150 रू. प्रति नियमित विद्यार्थी (100 रू. विश्वविद्यालय एवं 50 रू. महाविद्यालय) निर्धारित किया गया था। खेलकूद गतिविधि शुल्क (Sports Activity Fees) प्रति वर्ष 300 रू. प्रति नियमित विद्यार्थी, (200/– रु. विश्वविद्यालय एवं 100/– रु. महाविद्यालय) परीक्षा शुल्क के साथ लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–19 (पृष्ठ संख्या: 165–167)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया।**	खेलकूद
20	स्पोर्ट्स बोर्ड की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु महोदय के अनुमोदन अनुसार MPES पाठ्यक्रम का शुल्क रु. 30000/– प्रति सेमेस्टर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–20 (पृष्ठ संख्या: 168–169)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा सत्र 2026–27 से MPES पाठ्यक्रम का शुल्क रु. 20000/– प्रति सेमेस्टर रखने का निर्णय लिया गया।**	खेलकूद
21	प्रतिवेदित है कि भागचन्द टांकड़ा माननीय सदस्य द्वारा विभाजन संख्या 106 के द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में राज्य सरकार से प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले शोधपीठ की स्थापना की मांग की गई है। इस संबंध में माननीय सदस्य की मांग के संबंध में विश्वविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले शोधपीठ की स्थापना के संदर्भ में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	

	परिशिष्ट–21 (पृष्ठ संख्याः 170–171)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में समय–समय पर आवश्यकतानुसार शोधपीठ के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश /कार्ययोजना तैयार करवाकर राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
22	प्रतिवेदित है कि एम.ए. भूगोल (पूर्वाद्ध) पाठ्यक्रम 2024–25 के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों के निस्तारण के संबंध में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 16357 दिनांक 13.02.2025 के क्रम में अध्ययन मण्डल भूगोल द्वारा दिनांक 17.02.2025 को अनुशंसा प्रेषित की गई। उक्त अनुशंसा का अनुमोदन माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा विद्या परिषद में अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया। उक्त अनुशंषा विद्या परिषद की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–22 (पृष्ठ संख्या :172–173)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
23	प्रतिवेदित है कि गोपेश कुमेर आजाद जो राजकीय विधि महाविद्यालय, चुरू में विधि संकाय तृतीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2019–20 के नियमित विद्यार्थी थे उनके द्वारा तृतीय वर्ष में तीन पेपर देने के बाद मिरगी/कोविड रोगग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप बकाया छः पेपर नहीं दे पाने के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विधि संकाय तृतीय वर्ष के शेष रहे पेपरो की परीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान करने के अनुरोध के संबंध में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 888–89 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा संकायाध्यक्ष–विधि एवं संयोजक–विधि को नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपनी टिप्पणी/अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त क्रम में संकायाध्यक्ष–विधि एवं संयोजक–विधि द्वारा दिनांक 27.04.2025 को प्रस्तुत अनुशंसा में छात्र गोपेश कुमार आजाद स्वयं के कथनानुसार मिरगी एवं कोविड संक्रमण से ग्रस्त होने एवं मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के आधार पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में एलएलबी. तृतीय वर्ष में (उल्लेखनीय है कि सत्र 2020–21 से राजकीय विधि महाविद्यालय, चुरू की सम्बद्धता डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध कर दी गयी है) पूर्व छात्र के रूप में तत्कालीन पाठ्यक्रम के अनुसार समस्त	

	09 प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विशेष अवसर प्रदान किये जाने की छात्रहित में अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 983 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को भी प्रकरण के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में उनके पत्र क्रमांक 345 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की गई। माननीय कुलगुरु महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–23 (पृष्ठ संख्या: 174–199)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	परीक्षा
24	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एफ.1(A)(25) आरबी/2024/1072 दिनांक 27 फरवरी, 2025 की पालना में दीक्षान्त समारोह से पूर्व तत्काल उपाधि प्रदान करने के सन्दर्भ में प्रस्ताव का अनुमोदन :– राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः एफ.1(A)(25)आरबी/2024/1072 दिनांक 27 फरवरी, 2025 के द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को दीक्षान्त समारोह समय पर नहीं होने पर अभ्यर्थियों को आवश्यकता उपरान्त तत्काल उपाधि (Degree) उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया है। वर्तमान में परीक्षा वर्ष 2023 तक स्नातक/स्नातकोत्तर/प्रोफेशनल/डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधियां संबंधित महाविद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा वर्ष में सफल रहे समस्त अभ्यर्थियों की उपाधियां मुद्रित करवाकर दीक्षान्त समारोह के पश्चात् महाविद्यालयों में भेजी जाती रही है। राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के परिपत्र में अभ्यर्थियों को आवश्यकता उपरान्त तत्काल उपाधि (Degree) उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया है। इस क्रम में परीक्षा 2024 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में वर्षवार विद्यार्थियों के अंतिम परीक्षा परिणाम (पुनर्मूल्यांकन एवं पूरक परीक्षा सहित) जारी होने के पश्चात नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियों का मुद्रण करवाया जाना प्रस्तावित है। दीक्षान्त समारोह से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी को तत्काल उपाधि	

	की आवश्यकता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली एवं प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न परिस्थियों में तत्काल उपाधि उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है:– 1. सरकारी सेवा/अन्य सेवा में नियुक्ति के समय 2. अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संगठनों में अध्ययन हेतु प्रवेश के समय 3. विदेशों में अध्ययन/नियुक्ति होने के समय 4. अन्य उचित परिस्थितियों में आवश्यकता उपरान्त एवम् सक्षम स्तर पर स्वीकृति पश्चात उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने पर राजभवन के परिपत्र 6462 दिनांक 21.08.2017 के संलग्नक 1 में वर्णित शुल्क 1500/– रूपये जमा करने के पश्चात 5 कार्यदिवसों में तत्काल उपाधि प्रदान की जानी प्रस्तावित है। उपाधियों के मुद्रण से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा तत्काल उपाधि की माँग की जाती है तो उसको तत्काल उपाधि न प्रदान कर पूर्व की भाँति अस्थाई प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–24 (पृष्ठ संख्या: 200–202)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर नियमावली तैयार करवाने एवं संकायाध्यक्षों की समिति के माध्यम से परीक्षण करवाकर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरु महोदय को अधिकृत किया गया।**	उपाधि
25	विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं शोधार्थियों की उपाधियों की संख्या के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव :– परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों की उपाधि विश्वविद्यालय नियमानुसार मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में परीक्षा फर्म से प्राप्त 2024 में सफल अभ्यर्थियों की प्राथमिक संख्या 1,20,812 एवं शोध अनुभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक शोध कार्य सम्पन्न कर चुके अभ्यर्थियों की संख्या 46 है अतः परीक्षा वर्ष 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं शोध कार्य सम्पन्न कर चुके शोधार्थियों	

	की उपाधियों की संख्या के अनुमोदन का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
26	विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 की मुद्रित की जाने वाली उपाधियों हेतु निर्धारित क्रमांक संख्या :– विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्ष 2024 की समस्त उपाधियों (ब्लैंक सहित) पर क्रमांक संख्या 23,00,001 से 24,50,000 तक मुद्रित किया जाना है। क्रमांक संख्या अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
27	परीक्षा वर्ष 2024 एवं उत्तरोतर वर्षों में मुद्रित होने वाली उपाधियों पर शब्द कुलपति के स्थान पर कुलगुरु प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव :– प्रमुख शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) की अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल 2025 की पालना में परीक्षा वर्ष 2024 एवं उत्तरोत्तर वर्षो में मुद्रित होने वाली उपाधियों पर जहां भी कुलपति शब्द अंकित है, के स्थान पर कुलगुरु शब्द प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–25 (पृष्ठ संख्याः 203–208)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
28	परीक्षा वर्ष 2024 एवं उत्तरोतर वर्षों में प्रदान किए जाने वाले कुलपति स्वर्णपदक एवं कुलपति स्वर्णपदक प्रमाणपत्र का नाम कुलगुरु स्वर्णपदक एवं कुलगुरु स्वर्णपदक प्रमाण पत्र करने का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव :– प्रमुख शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग(ग्रुप–2) की अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल 2025 की पालना में परीक्षा वर्ष 2024 एवं उत्तरोत्तर वर्षो में प्रदान किए जाने वाले **कुलपति स्वर्णपदक एवं कुलपति स्वर्णपदक प्रमाण पत्र** का नाम **कुलगुरु स्वर्णपदक एवं कुलगुरु स्वर्णपदक प्रमाण पत्र** किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
29	राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ की क्षतिग्रस्त उपाधियां विश्वविद्यालय द्वारा पुनः मुद्रित करवाने की सूचना :–	

	प्राचार्य, राजकीय नेहरू मेमारियल महाविद्यालय ने अपने पत्रांक 107 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा परीक्षा वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 की कुल 194 उपाधियां लॉकडाउन अवधि के दौरान महाविद्यालय कार्यालय बंद होने पर सीलन के कारण डिग्रियों के प्रिन्टिंग एवं कागज क्षतिग्रस्त होना बताया। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा पत्रावली पर प्रदत आज्ञा के क्रम में महाविद्यालय को 50 रुपये प्रति उपाधि की दर से 194 उपाधियों का शुल्क 9700 रूपये विश्वविद्यालय में जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। उपरोक्त शुल्क महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने के पश्चात उपाधियां मुद्रित कर महाविद्यालय को प्रेषित कर दी गई है। माननीय कुलगुरु महोदय के पत्रावली पर प्रदत टिप्पणी के क्रम में उपाधियां पुनः मुद्रित करवाने का प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–26 (पृष्ठ संख्या: 209–212)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
30	विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का वेतनमान म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के समकक्ष करने का प्रस्ताव अनुमोदन :– महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में 500 रु. प्रति कालांश एवं अधिकतम 25,000 रु. प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ने अपने प्रबंध बोर्ड की 111 वीं बैठक दिनांक 19 मई, 2025 की मद संख्या 26 में विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में अध्यापन हेतु आने वाले समस्त अतिथि शिक्षकों को 800 रु. प्रति कालांश एवं अधिकतम 45,000 रु. प्रतिमाह के अनुसार मानदेय का भुगतान करने का निर्णय लिया (कार्यवृत की प्रति संलग्न) है। चूंकि इस विश्वविद्यालय में भी म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम लागू है अतः म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के निर्णयानुसार इस विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाने वाले अतिथि शिक्षकों का वेतनमान भी 800 रु. प्रति कालांश एवं अधिकतम 45,000 रु. प्रतिमाह मानदेय जुलाई, 2025 से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–27 (पृष्ठ संख्या: 213–215)	

निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
31	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गुरु गोविन्द सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय, श्रीकरणपुर के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.4( )आकाशि/नि.स./2016 दिनांक 22–07–2024 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है। परिशिष्ट–28 (पृष्ठ संख्याः 216–221)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग प्रथम
32	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14–09–2022 के विनिर्णय संख्या 15 के द्वारा सत्र 2022–23 से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषय में एक वर्ग में 40 सीट आवंटित करना निर्धारित किया गया था। प्राचार्य, बी.जे.एस.आर. जैन रामपुरिया महाविद्यालय, बीकानेर ने गत सत्र 2024–25 से भूगोल विषय में निर्धारित आवंटन से 20 सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन किया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण भी करवा लिया गया। निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर 20 सीटें बढाने की स्वीकृति के दौरान उपरोक्तानुसार निर्णय के आधार पर महाविद्यालय में पूर्व में ही 40 सीटे निर्धारित होने के कारण सीटें बढाने में असमर्थता व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय द्वारा माननीय कुलगुरु महोदय को पत्र प्रेषित कर निरीक्षण दल की अनुशंसानुसार सीटें बढाने का अनुरोध किया है। प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–29 (पृष्ठ संख्या : 222)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार महाविद्यालयों में प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध सुविधाओं के दृष्टिगत स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक एवं नॉन प्रायोगिक विषयों में अधिकतम दो वर्ग की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
33	विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियमों के प्रारुप का प्रस्ताव विद्या परिषद् के विचारार्थ	

	प्रस्तुत है। परिशिष्ट–30 (पृष्ठ संख्या : 223–230)	
निर्णय	**सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रस्ताव का प्रशासनिक एवं वित्तीय परीक्षण करवाया जाना है जिस पर विद्या परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए माननीय कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में समिति के माध्यम से परीक्षण करवाकर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरु को अधिकृत किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय

पूरक मद		
34	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2025–26 से स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम शुरु करने का अनुमोदन माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया। 1. B.A. Honors Defence Studies 2. B.Sc. Honors Defence Studies 3. B.Sc. M.Sc. Yogic Science and Naturopathy (Integrated) 4. M.A. Hindi 5. M.A. Journalism and Mass Communication 6. M.Sc. Physics 7. Master of Library and Information Science 8. PG Diploma in Career Counselling and Guidance उक्त पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
35	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानानुसार माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष विधि तथा संकायाध्यक्ष प्रबंधन की नियुक्ति की गई। साथ ही वाणिज्य संकायाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रबंधन संकायाध्यक्ष को आगामी आदेश तक दिया गया है। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–31 (पृष्ठ संख्या : 231–233)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय

<table>
<tr>
<td>36</td>
<td>प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 24 मार्च, 2025 को जारी दिशा–निर्देशों एवं शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 07(4)Acad./CCE/Vocational Course/2024_03240 दिनांक 12.06.2025 के क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोगाम (AEDP) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की समीक्षा और अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 21.07.2025 को संबंधित विषयवार आयोजित हुई अध्ययन बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव :–
परिशिष्ट–32 (पृष्ठ संख्या : 234–238)
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संकाय</th><th>विषय</th><th>कार्यवाही विवरण की पृष्ठ संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वाणिज्य</td><td>ए.बी.एस.टी. (21.07.2025)</td><td>235</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>व्यवसायिक प्रशासन (21.07.2025)</td><td>236</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>ई.ए.एफ.एम. (21.07.2025)</td><td>237</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>खाद्य और पोषण (21.07.2025)</td><td>238</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td>
<td>शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>विश्वविद्यालय में दिनांक 18.07.2025 को भूगोल अध्ययन मण्डल एवं पाठ्यक्रम समिति की आयोजित हुई बैठक में अध्ययन मण्डल भूगोल द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव :–
परिशिष्ट–33 (पृष्ठ संख्या : 239)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।</td>
<td>शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 25.06.2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।
परिशिष्ट–34 (पृष्ठ संख्या : 240–241)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।</td>
<td>शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय</td>
</tr>
</table>

39	प्रतिवेदित है कि माता गुजरी खालसा टी.टी. कॉलेज को N.C.T.E. ने अधिनियम 1993 धारा 17 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए N.C.T.E. की क्षेत्रीय समिति द्वारा पत्र दिनांक 31.05.2025 के पैरा सं. 07 में दिये गये आधारों एवं कारणों के आधार पर माता गुजरी खालसा टी.टी. कॉलेज, 9 जेड मिर्जेवाला रोड़, श्रीगंगानगर की B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ले ली है। B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. कोर्स हेतु नियामक संस्था N.C.T.E. है। माता गुजरी खालसा टी. टी. कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 की PAR Submit न करने तथा इसके संबंध में N.C.T.E द्वारा जारी Show Cause Notice का जवाब नहीं देने के कारण N.C.T.E Act. 1993 की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए N.C.T.E. द्वारा उक्त कॉलेज की मान्यता (B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed.) को शैक्षणिक सत्र 2025–26 से प्रत्याहारित कर लिया गया है। साथ ही उक्त संस्था को Act की धारा 18 के तहत अपील करने का भी विकल्प दिया गया है। उल्लेख है कि सर्वप्रथम N.C.T.E. द्वारा किसी संस्था को मान्यता प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा संस्था को अनापत्ति (NOC) जारी की जाती है। किन्तु राजस्थान सरकार द्वारा माता गुजरी खालसा टी. टी. कॉलेज को अनापत्ति जारी कर दी गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्ति निरस्त करने के पश्चात् ही महाविद्यालय की नियमानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–35 (पृष्ठ संख्या : 242–245)	
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार एवं पी.टी.ई.टी. नोडल संस्थान को सूचित करने के निर्देश भी प्रदान किये गए।**	शैक्षणिक अनुभाग प्रथम
40	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में बी.एड., एम.एड., बी.ए. बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम की सीटों का सम्बद्धता शुल्क प्रत्येक इकाई की 50 सीटों की संख्या के	

	आधार पर निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय, राज्य सरकार जयपुर/एन.सी.टी.ई. से सीटें निर्धारित/स्वीकृत करवायी जाती है जो कि 50 की संख्या के भाज्य से अधिक/कम भी हो सकती है तथा विश्वविद्यालय द्वारा 50 सीटों की प्रत्येक इकाई के हिसाब से सम्बद्धता शुल्क निर्धारित है। राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा महाविद्यालयों में निर्धारित इकाई से कम या अधिक सीटें स्वीकृत होने के कारण सम्बद्धता शुल्क राशि की गणना में संशय बना रहता है। अतः 10 या 20 सीटों पर एक इकाई (50 सीट) मानकर सम्बद्धता शुल्क लिया जावे अथवा अनुपातिक तौर पर, उक्त संबंध में प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा अनुपातिक रूप से सम्बद्धता शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
41	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की पालना में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रथम एवं सेमेस्टर द्वितीय की अंकतालिका के नमूना प्रारूप का अनुमोदन माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा कर दिया गया है। अतः सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय की अंकतालिकाओं के नमूना प्रारूप एवं दिशा–निर्देश विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–36 (पृष्ठ संख्या : 246–253)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।**	परीक्षा
42	विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को सी.ए.एस. (केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम) के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति में विषय विशेषज्ञ को सम्मिलित करने हेतु शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालय विशेषज्ञों के पैनल के अनुमोदन का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालय विशेषज्ञों के पैनल को अनुशंषित किया गया।**	संस्थापन
टेबल मद		
43	श्री विनायक महाविद्यालय, 32 जी.बी., श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर को बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. (चार वर्षीय	

		एकीकृत पाठ्यक्रम) संचालन करने के लिए 2017–18 से एन. सी.टी.ई. नई दिल्ली के द्वारा मान्यता दी गई। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2017–18 से महाविद्यालय को अनापत्ति जारी नहीं की गयी। आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा अनापत्ति जारी नहीं होने के कारण एवं संस्था द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिका के तहत न्यायालय द्वारा विद्यार्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने एवं विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी निर्देश दिये गए। सत्र 2017–18 से 2022–23 तक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर से अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा नवीन सम्बद्धता एवं सम्बद्धता अभिवृद्धि की कार्यवाही नहीं की गयी। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 663 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से 2022–23 तक की अनापत्ति नहीं जारी कर केवल सत्र 2023–24 के लिए अनापत्ति जारी की गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्रांक 636 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया जिसके क्रम में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23.05.2025 के द्वारा सूचित किया गया कि महाविद्यालय को बी.ए.बी.एड./ बी.एस.सी. बी.एड. (चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) संचालन करने के लिए 2017–18 से एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली के द्वारा मान्यता दी गयी। एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त कर संस्था द्वारा उक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु राज्य सरकार की एन.ओ. सी. के लिए विभाग में आवेदन किया गया। संस्था के पास पूर्व में संचालित सामान्य महाविद्यालय की एन.ओ.सी. नहीं होने एवं न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त संस्था को उपरोक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2023–24 से संस्था को अस्थायी अनापत्ति जारी की गयी। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आधार पर संस्था को पूर्व सत्रों में 2017–18 से 2022–23 तक की अनापत्ति जारी किया जाना संभव नहीं हो सका। महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता शुल्क राशि रु. 1,20,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाया गया इसके उपरान्त **सत्र 2018–19 से 2021–22 तक के सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं कराया गया है।** तत्पश्चात	

	2022–23 से 2025–26 तक का सम्बद्धता शुल्क नियमानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया है। महाविद्यालय द्वारा सत्र 2018–19 से 2021–22 तक चार वर्ष तक का सम्बद्वता शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। चार वर्षों का बकाया सम्बद्वता शुल्क रु. 4,00,000/– मय जी.एस.टी. राशि 72,000/– कुल राशि 4,72,000/– रु. है। चार वर्ष का विलम्ब शुल्क (शास्ति) नियमानुसार लिया जाना है। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2023–24 के लिए जारी एन.ओ.सी. के आधार पर महाविद्यालय को बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. (चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) में नवीन सम्बद्धता दिये जाने एवं बकाया सम्बद्धता शुल्क मय विलम्ब शुल्क राशि एवं शास्ति राशि (जी.एस.टी. सहित) आरोपण के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–37 (पृष्ठ संख्या : 254–260)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग प्रथम
44	अभ्यर्थी सुधा सारस्वत, छात्रा राजस्थानी विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के राजस्थानी विभाग में पीएच.डी. हेतु सीट व शोध निर्देशक उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–38 (पृष्ठ संख्या : 261)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर समिति गठित कर परीक्षण करवाकर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलगुरु महोदय को अधिकृत किया गया।**	शोध
45	विद्या परिषद की 22वीं बैठक के एजेण्डा आईटम 19 में हुए निर्णय के अनुसार Doctor of Science (D.Sc.) and Doctor of Literature (D.Litt.) की उपाधि प्रदान करने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 2059 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की दो बैठके दिनांक 15.06.2024 और दिनांक 25.07.2025 को आयोजित की गई। उक्त समिति द्वारा गहन विचार विमर्श कर दिनांक 25.07.2025 की बैठक में Doctor of Science (D.Sc.) and Doctor of	

	Literature (D.Litt.) की उपाधि प्रदान करने हेतु नियमावली प्रस्तावित की गई है। उक्त नियमावली विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट–39 (पृष्ठ संख्या : 262–266)	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	शोध
46	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय विभागों में विज्ञापित शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 के प्रावधानानुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नानुसार पैनल प्रस्तुत किये गए है :– 1. कम्प्यूटर विज्ञान 2. सूक्ष्मजीव विज्ञान 3. पर्यावरण विज्ञान 4. अंग्रेजी 5. इतिहास 6. भूगोल 7. ड्राईग एण्ड पेंन्टिग (फाइन आट्र्स) 8. एबीएसटी 9. ईएएफएम 10. व्यावसायिक प्रशासन 11. एमबीए 12. विधि उक्त पैनल विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त विषयों के पैनल अनुशंसित किये गए।**	संस्थापन

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरविन्द बिश्नोई)
कुलसचिव